आवश्यक

उ0 प्र0 राज्य सड़क परिवहन निगम, मुख्यालय,
परिवहन भवन, टेहरी कोठी, लखनऊ– 226001
पी0बी0एक्सः 2622363, 2628461, 2225439, 2611107
फैक्स: 0522 – 2274526, 2628841, 2274578
ई–मेलः gmmmt.upsrtc09@gmail.com or gmmmt@upsrtc.com

संख्या 23 / जीएम(एमएमटी) / 2020 (834) दिनांक 08/1/ 2020

समस्त सेवा प्रबन्धक,
उत्तर प्रदेश परिवहन निगम।

विषयः क्षेत्र की समस्त वाहनों मे **SPEED LIMITATION DEVICE (Road Speed Limiter)** की स्थापना के संबंध में।

संदर्भः पत्र संख्या 505 जीएम(एमएमटी) / 2019 दिनांक 15 नवम्बर 2019
पत्र संख्या 911 जीएम(एमएमटी) / 2019 दिनांक 27 नवम्बर 2019

उपरोक्त विषयक जैसा कि आपको बार बार निर्देशित किया गया है कि दुघर्टनाओं की रोकथाम / एवं वाहनों के फिटनेस के उद्देश्य से परिवहन निगम की समस्त वाहनों में स्पीड लिमिटेशन डिवाइस की स्थापना हेतु अंतिम तिथि दिनांक 15.11.2019 निर्धारित की गई थी। आपकी मांग के अनुक्रम में आपका अतिरिक्त स्पीड लिमिटेशन डिवाइस का आवंटन भी किया गया है। आशा है कि आपके क्षेत्र की समस्त वाहनों में स्पीड लिमिटेशन डिवाइस की स्थापना का कार्य पूर्ण हो चुका होगा साथ ही समस्त वाहनों में स्पीड लिमिटेशन डिवाइस पूर्ण रूप से कार्य कर रही होगी।

इस संबध में यह भी अवगत कराना है कि स्पीड लिमिटेशन डिवाइस के क्रय एवं स्थापना हेतु उ0प्र0 सरकार के स्तर से परिवहन निगम को अनुदान भी स्वीकृत किया गया है। उक्त स्थिति में यह आवश्यक हो जाता है कि परिवहन निगम की समस्त वाहनों में स्पीड लिमिटेशन डिवाइस पूर्ण रूप से कार्यशील रहे। यह आपका व्यक्तिगत दायित्व भी है कि क्षेत्र की सभी वाहनों में स्पीड लिमिटेशन डिवाइस कार्य करती रहे, इसके लिये आपके स्तर से वाहनों की मानीटरिंग का कार्य भी बराबर कराया जाना आवश्यक है, एवं इस कार्य में लगने वाले अन्य उपकरणों यथा स्पीडो मीटर आदि की व्यवस्था स्थानीय स्तर पर सुनिश्चित की जाती रहे।

इस संबंध में यह प्रमाण पत्र देने का कष्ट करें कि आपके क्षेत्र की सभी वाहनों में स्पीड लिमिटेशन डिवाइस पूर्ण रूप से कार्य कर रही है। इस संबंध में यह भी संज्ञान रखें कि शीघ्र ही वाहनों में स्पीड लिमिटेशन डिवाइस की क्रियाशीलता के संबंध में चेकिंग अभियान चलाया जायेगा। जिन वाहनों में स्पीड लिमिटेशन डिवाइस कार्य नहीं कर रही है उसका पूर्ण विवरण यथा वाहन संख्या एवं स्पीड लिमिटेशन डिवाइस के कार्य न करने का कारण दर्शाते हुये सूचना उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।

उक्त सूचना 15 दिनों में अर्थात दिनांक 23.1.2020 तक उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।

(जयदीप वर्मा)
मुख्य प्रधान प्रबन्धक (प्राविधिक)